लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के संकल्प के साथ निकली पदयात्रा

मोतिहारी। लोकतंत्र के रक्षार्थ भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के संकल्प के साथ भव्य पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा महात्मा गांधी प्रेक्षागृह, राजा बाजार से प्रारंभ होकर नरसिंह बाबा मंदिर के पास आ कर समाप्त हुई। पदयात्रा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, अराजकता के विरुद्ध जनजागरण तथा राष्ट्रहित में सामूहिक भागीदारी का संदेश दिया गया। आज आयोजित पदयात्रा के दौरान सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह पदयात्रा देश के लोकतंत्र को मजबूत करने, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने तथा समाज में भ्रम और अराजकता फैलाने वाली ताकतों को जवाब देने का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को स्वच्छ, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मृत व्यक्तियों के नाम तथा एक से अधिक स्थानों पर दर्ज दोहरे और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इससे फर्जी मतदान पर रोक लगेगी और वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा होगी। श्री सिंह ने कहा कि विपक्षी दल इस सुधार प्रक्रिया को लेकर जनता में भ्रम और अफवाह फैलाकर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को प्रभावित करने के लिए फर्जी फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराने के मामले भी सामने आए हैं। ऐसी गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर-घर जाकर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की वास्तविक जानकारी दें, अफवाहों का तथ्यों के साथ जवाब दें तथा प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं को जागरूक और संगठित करें। लोकतंत्र की गरिमा, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। पदयात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव व्यवस्था पर निर्भर करती है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण किसी राजनीतिक दल के हित में नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक वास्तविक मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इस संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर तथ्यों के आधार पर सच्चाई रखनी चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत करना चाहिए। के अतिरिक्त पूर्व मंत्री मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, हरसिद्धि विधायक कृष्णनंदन पासवान, कल्याणपुर विधायक सचिन्द्र प्रसाद सिंह, पिपरा विधायक श्यामबाबू यादव, चिरैया विधायक लालबाबू गुप्ता, पूर्व विधायक ढाका पवन जायसवाल, पूर्व विधायक गोविन्दगंज सुनील मणि तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन राज सहित भाजपा संगठन जिला ढाका एवं रक्सौल के जिलाध्यक्ष, एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, समर्थकों सहित हजारों की संख्या में जनभागीदारी रही।



जिला सॉफ्ट टेनिस संघ के विजेता खिलाड़ियों का मोतिहारी में भव्य स्वागत

मोतिहारी (आससे)। वैशाली जिला सॉफ्ट टेनिस संघ के द्वारा आयोजित हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में 11वीं बिहार राज्य सब जूनियर सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में पूर्वी चंपारण की बालिकाओं का शानदार प्रदर्शन रहा । पहली बार सब जूनियर टीम कांस्य पदक जीतकर सप्त क्रांति से लौटने पर बापूधाम रेलवे स्टेशन का फूल माला बुक के एवं मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर विनोद जायसवाल, अरुण कुमार सिंह, शुभम सिंह, पवन कुमार, अंजनी कुमार पांडे, डॉक्टर मनीष पूर्वी चंपारण जिला टीम की ओर से कप्तान दीक्षा मिश्रा, नायला एलिजा का खेल काफी सराहनीय रहा ।उक्त जानकारी संघ के संरक्षक दीपक कश्यप ने दी।



स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की सुधि ले सरकार : प्रो. खुश नंदन

चकिया (आससे)। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के तत्वावधान में स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के सम्मान में परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नगर परिषद क्षेत्र के बरमदिया गांव स्थित स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र पाठक के आवास पर प्रखंड स्तरीय मिलन समारोह का शुभारंभ हुआ। समिति के अध्यक्ष प्रो. खुश नंदन सिंह ने राष्ट्रध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र पाठक के छोटे भाई वयोवृद्ध नंदकिशोर पाठक ने आजादी के आंदोलन की आंखों देखी वीरगाथा सुनाई, जिसे सुनकर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, तो भीड़ में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बत्तख मियां को देखकर अपने पास बुलाया और गले लगाया था। वे स्वयं उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी थे। डॉ. प्रसाद उन्हें अपने साथ ट्रेन में बैठाकर ले गए थे। स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र पाठक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता का जन्म 1914 में हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान रेल पटरी उखाड़ने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में लंबी यातनाएं सहनी पड़ीं। समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को देशभर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसका उद्देश्य सेनानियों को स्मरण कर सम्मान देना और उनके परिवारों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. खुश नंदन सिंह ने कहा कि हमें गर्व है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों की संतान हैं। सरकार को उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य शशिकला कुमारी ने अपने पिता भोलाराम तूफानी के संस्मरण सुनाए, जबकि जिलाध्यक्ष कौशल किशोर पाठक ने चंपारण के सेनानियों के बलिदान पर प्रकाश डाला। डॉ. चंदन जायसवाल, संजीव साह, उमेश सिंह सहित अन्य ने भी विचार रखे। अंत में नंदकिशोर पाठक को स्मारिका भेंट कर सम्मानित किया।

प्रो. प्रसून दत्त सिंह ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित

मोतिहारी (आससे)। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं मानविकी एवं भाषा संकाय के पूर्व अधिष्ठाता प्रो. प्रसून दत्त सिंह अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन (ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस) की कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। प्रो. सिंह इससे पहले भी पाँच बार इस कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। इस बार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होने वाले वे एकमात्र प्रतिनिधि हैं ।उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में 29 से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सम्मेलन के 52वें अधिवेशन में यह निर्वाचन हुआ है। थे।

मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं करायें उपलब्ध : सीएस

मोतिहारी। सदर अस्पताल परिसर सदर अस्पताल, मोतिहारी में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिविल सर्जन, पूर्वी चंपारण ने अस्पताल का भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का जायजा लिया तथा वहां भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन ने वार्डों की व्यवस्था, साफ-सफाई, मरीजों की देखभाल, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों से अस्पताल में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।

साथ ही मरीजों को समय पर समुचित उपचार उपलब्ध कराने, अस्पताल परिसर एवं सभी वार्डों में स्वच्छता बनाए रखने तथा मरीजों के प्रति संवेदनशील, सहयोगात्मक एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ।मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में त्वरित पहल इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। सिविल सर्जन की मौजूदगी एवं पहल पर सदर अस्पताल में दो गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन कराया गया। इस पहल से जरूरतमंद प्रसूताओं को सरकारी अस्पताल में ही आवश्यक शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों को बल मिला ।सिविल सर्जन ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर जांच, आवश्यक उपचार एवं बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सभी स्वास्थ्यकर्मियों को पूरी जिम्मेदारी, तत्परता एवं सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक है ।उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को नियमित रूप से बेहतर बनाए रखने, मरीजों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। निरीक्षण का उद्देश्य अस्पताल की मौजूदा व्यवस्थाओं का आकलन करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा आमजन को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। सदर अस्पताल में किए गए इस निरीक्षण एवं दो सिजेरियन ऑपरेशन की व्यवस्था से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

डा. वीरेंद्र कुमार सिंह बने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन

चकिया (पूर्वी चम्पारण)। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के सामाजिक विज्ञान संकाय के नए डीन के रूप में एसआरएपी कॉलेज के प्राचार्य डॉ प्रो बीरेन्द्र कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। वे 1 नवंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा ।डॉ बीरेन्द्र इससे पूर्व वे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति एवं बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ज्ञात हो कि प्रो सुनील कुमार का डीन के रूप में कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद प्रो बीरेन्द्र कुमार सिंह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। विश्वविद्यालय में वरिष्ठता के आधार पर उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है। इस नियुक्ति पर प्रो बीरेन्द्र कुमार सिंह ने कुलपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और शैक्षणिक प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। शिक्षकों ने विश्वास जताया कि उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता से सामाजिक विज्ञान संकाय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। उनकी नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में हिंदी विभाग का अध्यक्ष, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड के भारतीय सदस्य डॉ रंजीत कुमार दिनकर तथा डॉ रमाकांत पांडे, डॉ धनंजय सिंह, डॉ सुमन लाल राय, डॉ दिगंबर झा, डॉ पी एन शर्मा, डॉ श्रवण मोदी, संतोष आनंद, अजय कुमार सिंह, अजीत कुमार, मोहम्मद रेयाज आलम, मोहम्मद वसीम अंसारी, विपिन कुमार, उपेंद्र कुमार,राकेश कुमार सहित अन्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी हैं।

'पोलियो मुक्त विश्व' का संदेश लेकर बीरगंज से रक्सौल पहुंची जागरुकता रैली

● मैत्री पुल पर भारत विकास परिषद ने रोटरी सदस्यों का किया स्वागत ● सीमापार संयुक्त पहल से टीकाकरण के प्रति जागरुकता का आह्वान

रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। पोलियो को दुनिया से पूरी तरह समाप्त करने और बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण का संदेश लेकर रविवार को नेपाल के बीरगंज से रक्सौल तक जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व पोलियो उन्मूलन सप्ताह के समापन पर आयोजित इस अभियान में भारत और नेपाल के सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर लोगों से पोलियो की खुराक और नियमित टीकाकरण सुनिश्चित कराने की अपील की। रोटरी क्लब ऑफ बीरगंज और रोटरी क्लब ऑफ बीरगंज मेट्रोपोलिस के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई रैली बीरगंज के घंटाघर से शुरू होकर भारत-नेपाल मैत्री पुल के रास्ते रक्सौल के राजदंडी तक पहुंची। मोटरसाइकिल, स्कूटी और चारपहिया वाहनों के काफिले में शामिल प्रतिभागियों ने जागरूकता संदेशों के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। रैली का नेतृत्व रोटरी डिस्ट्रिक्ट रीजन-6 के पोलियो प्लस कमेटी चेयर अभिषेक चौधरी, रोटरी क्लब ऑफ बीरगंज के अध्यक्ष राकेश मिश्रा और रोटरी क्लब ऑफ बीरगंज मेट्रोपोलिस के अध्यक्ष राजकिशोर कलवार ने किया। इसमें पास्ट प्रेसिडेंट सोहन पोद्दार, डॉ. आनंद कुमार झा समेत बड़ी संख्या में रोटेरियन, रोट्रैक्टर्स, इंटरैक्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। रक्सौल पहुंचने पर भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की ओर से मैत्री पुल के समीप रैली में शामिल सदस्यों और अतिथियों का स्वागत किया गया। परिषद अध्यक्ष रजनीश प्रियदर्शी की अध्यक्षता तथा सेवा संयोजक सह मीडिया प्रभारी बिमल कुमार सर्राफ के संयोजन में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में दोनों देशों के सामाजिक संगठनों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना देखने को मिली। इस दौरान परिषद की ओर से रोटरी पदाधिकारियों और इनर व्हील की अध्यक्षा को लैपल पिन देकर सम्मानित किया गया। वहीं, रोटरी सदस्यों ने भी अतिथियों को टोकन ऑफ लव और पोलियो जागरूकता पिन भेंट की। इस मौके पर अभिषेक चौधरी ने कहा कि पोलियो उन्मूलन रोटरी इंटरनेशनल के प्रमुख वैश्विक अभियानों में शामिल है। दशकों से चल रहे प्रयासों के कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पोलियो पर नियंत्रण संभव हुआ है। हालांकि, लक्ष्य की पूर्ण सफलता के लिए प्रत्येक बच्चे तक टीकाकरण की पहुंच जरूरी है। उन्होंने भारत-नेपाल के सामाजिक संगठनों की इस संयुक्त पहल को सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का उदाहरण बताया। परिषद अध्यक्ष रजनीश प्रियदर्शी ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पोलियो उन्मूलन और नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूकता जरूरी है। भारत और नेपाल के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को ऐसे जनहितकारी अभियान और मजबूत बनाते हैं। परिषद सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता के मूल्यों के साथ जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी ।अनुमंडलीय अस्पताल रक्सौल की उपाधीक्षक डॉ. स्वाति सपन और डॉ. विजय कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता के लिए दोनों देशों के संगठनों का एक मंच पर आना सकारात्मक कदम है। वहीं, हरैया थानाध्यक्ष किशन पासवान ने रैली के सफल आयोजन में सहयोग किया और इसे जनहित में महत्वपूर्ण प्रयास बताया। बिमल कुमार सर्राफ ने कहा कि पोलियो जैसी बीमारी से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण और जनभागीदारी सबसे जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित यह अभियान स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग का संदेश भी देता है। कार्यक्रम का संचालन परिषद के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार ने किया।

मौके पर अजय कुमार, नीतेश कुमार सिंह, सीताराम गोयल, सुभाष अग्रवाल, विजय कुमार साह, विनोद कुमार, दिनेश प्रसाद, सुरेश धानोठिया, अरविंद जायसवाल और शरद सर्राफ समेत परिषद के अनेक सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी बिमल कुमार सर्राफ ने दी।

पूर्वी चंपारण में नशामुक्ति अभियान शुरू

● 7 तक चलेगा 'गांव का संकल्प' कार्यक्रम ● नशामुक्त बिहार की ली शपथ

मोतिहारी। नशामुक्त बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ पूर्वी चंपारण जिले में रविवार को जनजागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। 'नशामुक्त बिहार अभियान' के तहत 'गांव का संकल्प' कार्यक्रम के माध्यम से जीविका दीदियां अब गांव-गांव और घर-घर तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाएंगी। जीविका के अंतर्गत जिले के सभी संकुल संघों में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में नशामुक्त वातावरण तैयार करने के लिए सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने हिस्सा लिया और नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया ।इस अवसर पर सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध, पूर्वी चंपारण, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका तथा ब्रह्माकुमारी संस्थान की बहनें प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों, ब्रह्माकुमारी बहनों और जीविका दीदियों ने नशामुक्त बिहार के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से शपथ ली। मानसिक दृढ़ता और व्यसनमुक्ति पर जोर। जागरूकता कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी संस्थान की बहनों ने जीविका दीदियों को मानसिक दृढ़ता, राजयोग और व्यसनमुक्ति के सरल उपायों की जानकारी दी। साथ ही नशे की आदत से दूर रहने, सकारात्मक सोच अपनाने और परिवार एवं समाज में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया ।7 नवंबर तक चलेगा अभियान ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाने और हर घर तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान 7 नवंबर 2026 तक जिले के विभिन्न संकुल संघों में चलाया जाएगा।

इसके तहत जीविका दीदियां ग्रामीणों को नशे से होने वाले सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के प्रति जागरूक करेंगी तथा नशामुक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक ने कहा कि जीविका दीदियां ग्रामीण समाज में बदलाव की सबसे बड़ी वाहक हैं। उनके माध्यम से नशामुक्ति का संदेश हर घर और हर गांव तक पहुंचेगा, जिससे स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय कारा में विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

मोतिहारी (आससे)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के मिनिमम एक्शन प्लान के तहत रविवार को केन्द्रीय कारा स्थित हेल्प डेस्क में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता सुश्री मोनिबाला सिंह तथा पारा विधिक स्वयंसेवक उज्ज्वल कुमार पाण्डेय द्वारा उपस्थित बंदियों जो पात्र लाभार्थियों तथा योजना के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित बंदियों को बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य कारावास में निरुद्ध व्यक्तियों तथा अपराध-पीड़ितों के उन आश्रित परिवारों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता से जोड़ना है, जो कारावास अथवा अपराध से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आर्थिक कठिनाई, बच्चों की शिक्षा में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सामाजिक एवं मानसिक परेशानी, आजीविका की समस्या, आश्रय की आवश्यकता अथवा अन्य प्रकार की असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रमुख सहायता क्षेत्रों—विधिक सहायता, मनो-सामाजिक सहायता, शिक्षा एवं बाल-कल्याण, आर्थिक एवं आजीविका सहायता, आश्रय सहायता तथा पुनर्वास एवं समाज में पुनर्समावेशन के संबंध में सरल एवं व्यावहारिक भाषा में जानकारी प्रदान की गई।

Chola Enter a better life | **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**
कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडू

मांग सूचना

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (दि ऍक्ट) एवं सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (दि रूल्स) की वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रावधानों के अधीन अधोहस्ताक्षरकर्ता चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी (निरापद) लेनदार का अधिनियम ते अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण एवं अनुभाग 13 (12) सहपठित नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के अनुभाग 13 (2) के अधीन, निम्नलिखित ऋणी (ऋणियों) को इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर क्रमशः सूचना (सूचनाओं) में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान हेतु 3 मांग सूचना (सूचनाएं) जारी की गई थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता तर्कसंगत रुप से विश्वास करता है कि ऋणी (ऋणियों) मांग सूचना / सूचनाओं की सेवा को डाला हैं। इसलिए सूचना की सेवा को प्रत्ययोजना एवं नियमानुसार प्रकाशित द्वारा प्रभावित किया गया है। मांग सूचना सूचनाओं की अंतर्वस्तु को यहां नीचे अवतरित किया जाता है।

अ. क्र.	ऋणी / ऋणियों एवं सहऋणी / ऋणियों का नाम एवं पता	ऋण राशि	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि	निरापद सम्पत्ति / परिसम्पत्ति का विवरण
1	ऋण खाता संख्या : LAP3SIW000136249 **1. श्री./ श्रीमती उत्कर्ष कुमार** **2. श्री./ श्रीमती प्रभादेवी (ऊर्फ) प्रभा देवी** **3. श्री./ श्रीमती अरुणवर्मा (ऊर्फ) अरुण वर्मा** **पता :** द्वारा, अरुण कुमार वर्मा, रघुनाथपुर, अमोदेई, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433, माध्यमिक विद्यालय के पास, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433; **इसके अलावा :** मौजा : अमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना : रामगढ़वा, थाना नंबर 68, खाता नंबर 125, जिला : पूर्वी चम्पारण, आमोदेई टोला, रघुनाथपुर, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण, बिहार-845 305।	रु. 20,00,000/-	**09.10.2026** रु. **20,68,594/- (रुपये बीस लाख अड़सठ हज़ार पाँच सौ चौरानवे मात्र)** दि. **09.10.2026** तक	➤ **दस्तावेज़ के अनुसार पता -** खाता 125, खेसरा 1302, रकबा 0 एकर, 2.62 दशमलव (डिसिमल), हल्का रघुनाथपुर, अंचल : रामगढ़वा, मुजफ्फरपुर, रघुनाथपुर, माध्यमिक विद्यालय के पास, 1302, पूर्वी चंपारण, बिहार। ➤ **वास्तविकता के आधार पर पता -** प्लॉट नं. 1302 / मौजा : आमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना. रामगढ़वा, थाना नं. 68, खाता नं. 125, जिला : पूर्वी चंपारण - 845 305 बिहार। ➤ **वास्तविक के अनुसार - पूर्व :** 12 फीट चौड़ी सड़क; **पश्चिम :** एच/ओ. अनलदेव तिवारी; **उत्तर :** एच/ओ. निज मोकिर (दादी); **दक्षिण :** एच/ओ. धर्मेन्द्र महतो. ➤ **विलेख के अनुसार के अनुसार - पूर्व :** निजी रोड; **पश्चिम :** अनलदेव तिवारी; **उत्तर :** निज मोकिर; **दक्षिण :** धर्मेंद्र महतो।

ऋणी ऋणियों को ऐतद्व द्वारा मांग सूचना (सूचनाओं की पालना की सलाह दी जाती एवं इस प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर मय लागू व्याज, अतिरिक्त ब्याज, वापस किए प्रभारों, लागत एवं भुगतान की वसूली की दिनांक तक समस्त व्ययों जो यहां उपरोक्त वर्णित मांगी गई राशि का भुगतान देवें। ऋणी (ऋणियों) यह नोट कर लेवें कि **चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** एक निरापद लेनेदार है एवं ऋणी (ऋणियों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा ऋणी (ऋणियों द्वारा रखी गई अचल सम्पत्ति / परिसम्पत्तियां हैं जो निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों के विरुद्ध दिया गया निरापद कर्ज है। प्राणी ऋणियों) निर्धारित समय के भीतर पूर्ण रुपेण उनके दायित्वों देनेदारियों का निर्वहन के विफल होने की स्थिति में निरापद लेनदार निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों) सहित परंतु अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत नियमों एवं भुगतान की वसूली के अधीन इसकी बिक्री द्वारा हस्तांतरित में सीमित या अन्य कोई उपलब्ध निदान प्रेरक द्वारा अधिनियम के अनुसार 13 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में लाने जाने का सर्वाधिक सुरक्षित है। निरापद लेन बिक्री के अधिकार को लागू करने या निरापद (सम्पत्तियों के स्थानांतरण आगामी बिक्री करने के पूर्व **संलग्न एवं / या सील** करने का भी शक्ति प्राप्त है। निरापद लेनदार शेष राशि की वसूली में कानूनी कार्यवाह प्रारंभ करने का भी अधिकार है, यदि निरापद लेनेदार में बकाया देय की वसूली में सम्पत्ति अपर्याप्त पाई जाती है। इस निदान के अतिरिक्त एवं अन्य कोई कानून के अधीन निरापद लेनदार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।
ऋणी (ऋणियों) का ध्यान, अधिनियम के अनुभाग 13 (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे उपलब्ध समय के निरापद सम्पत्तियों को छुड़वा लेवें एवं द्वारा स्थानान्तरित किये जाने, पट्टे पर देना या अन्यथा (व्यवसाय के अन्य कोई साधारण अवस्था में) बगैर पूर्व लिखित सूचना एवं गैर अनुपालन नहीं करे, यदि ऐसा किया जाता है तो उपर्युक्त अधिनियम के अनुभाग 29 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास मांग सूचना की प्रतिलिपि है एवं ऋणी (ऋणियों) यदि वे चाहे ते कार्यालय ते नियत समय एवं कार्यदिवस में इस सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ताक्षर
स्थान : पूर्वी चम्पारण, बिहार — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 09.10.2026 — कृते **चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी लिमिटेड**

डा. वीरेंद्र सिंह को समाजिक विज्ञान का संकाय प्रमुख बनाये जाने पर हर्ष

चकिया (आससे)। अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसआरएपी महाविद्यालय के दुसरी बार प्रतिनियुक्त प्राचार्य डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह को महाविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग का संकाय प्रमुख बनाये पर महाविद्यालय मे अध्ययनरत विधार्थियो व शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों मे हर्ष व्यास है। रविवार को हिंदी विभागाध्यक्ष तथा हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड के भारतीय सदस्य डॉ रंजीत कुमार दिनकर आदि ने बुके देकर सम्मानित किया। प्रतिनियुक्त प्राचार्य प्रकांड विद्वान के अलावा सफल प्रशासक भी हैं पूर्व मे इनके कार्यकाल मे महाविद्यालय मे शिक्षण व्यवस्था दुरूस्त होने के साथ साथ अन्य विकास भी हुआ। शुरू की अधुरे कार्यो को पुरा कर इनके कार्य कुशलता से महाविद्यालय अकल्पनीय विकास विकास के बुलंदियों को टच करेगी ।समाजिक विज्ञान विभाग प्रमुख बनने पर बधाई देने वालों में डॉ रमाकांत पांडे, डॉ धनंजय सिंह, डॉ सुमन लाल राय, डॉ दिगंबर झा।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकजुटता का संदेश

कल्याणपुर । लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत शनिवार को गुजरात के केवड़िया में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कल्याणपुर थाना परिसर में टेलीविजन के माध्यम से थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने देखा ।समारोह के प्रसारण के दौरान पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित समारोह की गतिविधियों को देखा। इस अवसर पर थाना परिसर में एसआई प्रियंका कुमारी, रंजीत कुमार सिंह, रणवीर कुमार, विश्वजीत कुमार पंडित, सुमन कुमार, चन्दन कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहे ।राष्ट्रीय एकता दिवस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 563 देशी रियासतों के एकीकरण और अखंड भारत के निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। गुजरात के केवड़िया स्थित 182.5 फिट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित समारोह में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन का उद्देश्य देशवासियों में आपसी भाईचारा, सद्भाव, एकजुटता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करना है। कल्याणपुर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों द्वारा समारोह का सीधा प्रसारण देखना भी इसी राष्ट्रीय एकता और कर्तव्यनिष्ठा के संदेश से जुड़ा रहा।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर अखंडता सुरक्षा व एकता की ली शपथ

आदापुर (पूर्वी चम्पारण)। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार के शाम लाइव प्रसारण कार्यक्रम स्थानीय थाना परिसर में हुई जिसमें उपस्थित अंचल निरीक्षक राजू कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी रूपम कुमारी सहित तमाम पुलिसकर्मी, चौकीदार, बुद्धि जीवी वर्ग, युवा वर्ग, बच्चे लाइव प्रसारण का लाभ उठाया,शाम के समय होने के बावजूद जनप्रतिनिधि से लेकर उपस्थित जनसमूह उत्साह के साथ प्रसारण को देखा, उसके बाद प्रशासन के साथ लोगों ने शपथ लिया,देश की एकता अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई, थाना प्रभारी रूपम कुमारी ने बताया कि लाइव प्रसारण से हमारे पुलिस जवानों, युवाओं को देश की अखंडता, एकता के प्रति जो संदेश दिया गया है जो सदियों यादगार रहेगी, एकता के एक सूत्र में देश को जोड़ने का काम देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा जयंती के रूप में याद किए जाएंगे।

Chola Enter a better life | **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**
कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडू

ई-नीलामी विक्रय सूचना (विक्री केवल ई-बोली के माध्यम से)

2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधानों के अधीन अचल सुरक्षित आस्तियों के विक्रय के लिए बिक्री सूचना।
आमजन और विशेष रुप से **कॉलम (ए)** में दर्शाए गए ऋणधारक(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति(यां) जो कि **कॉलम (सी)** मे दर्शाई गई है का **कॉलम (डी)** में उल्लेखित रचनात्मक / भौतिक कब्जा का बंधक / प्रभात सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है जिसको सुरक्षित लेनदार, **हाउसिंग चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **जहाँ है जैसा है, जैसा है जो है और जो कुछ भी वहां है** के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम **8 (6)** के अधीन यहां ऋणधारक / बंधककर्ता(ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहें ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(रों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों) और माननीय ऋणधारक / बंधनकर्ता(ओं) (मृतक के पश्चात) के वारिस (रों) जैसा कॉलम (ए) में इंगित किया गया है, चो यह नोटिस दिया जा रहा है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार, चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाईट यानी **https://www.cholamandalam.com** और **www.auctionfocus.in** में दिए गये लिंक को देखें।

क्र. सं.	(ए) ऋण खाता संख्या ऋणधारक(कों) / बंधककर्ता(ओं) / जमानदार(रों) के नाम	(बी) बकाया राशि जो वसूल की जाती है। (सुरक्षित बकाया)	(सी) अचल सम्पत्ति / सुरक्षित आस्ति का विवरण	(डी) कब्जे का प्रकार	(ई और एफ) आरक्षित मूल्य (रुपये में) / बयाना राशि जमा (रुपये में)	(जी) नीलामी की तिथि और समय
1.	खाता क्र. संख्या : HL25HJP000070986 1. श्री. / सुश्री नरेश राय २. श्री. / सुश्री राम रे ३. श्री. / सुश्री पुनम देवी क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता : द्वारा, राम सागर राय, मानिकपुर पकड़ी, वैशाली, स्कूल के पास, लालगंज, बिहार-844 121। क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता : खेसरा संख्या 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : मानिकपुर पकड़ी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-8441 21।	**01.07.2026 तक ₹ 20,01,382/- (रुपये बीस लाख एक हज़ार तीन सौ बयासी मात्र)**	खेसरा संख्या : 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : माणिकपुर पकड़ी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-844 121। ➤वास्तविकता के आधार पर - उत्तर : नीज; दक्षिण : नीज; पूर्व : नीज रास्ता; पश्चिम : 10 फीट पीसीसी सड़क । ➤विलेख के अनुसार - उत्तर : नीज मनमोकिर; दक्षिण : नीज मनमोकिर; पूर्व : खरीदार; पश्चिम : सड़क।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 65,34,000/- (रुपये पैंसठ लाख चौंतीस हज़ार मात्र)** **₹ 6,53,400/- (रुपये छह लाख तिरपन हजार चार सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**
2.	खाता क्र. संख्या : LAP3ARH000114378 1. श्री. / सुश्री गजेंद्र सिंह २. श्रीमान/सुश्री राज देवी ३. श्री. / सुश्री उपेन्द्र सिंह ४. श्री. / सुश्री मीरा देवी ५. श्री. / सुश्री हरदेव सिंह क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता : द्वारा, हरदेव प्रसाद सिंह, गांव : बालूनी, गोवर्धन मूर्ति के पास, भोजपुर, बिहार-802 201। क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता : खेसरा संख्या : 2023, खाता संख्या : 342, मौजा : भेलाई, थाना : उदवंतनगर, अंचल : उदवंतनगर, उप-पंजिकृत कार्यालय : आरा, थाना नं. 228, भेलाई, उदावंतनगर, आरा, बिहार-802 302।	**13.04.2026 तक ₹ 25,59,862/- (रुपये पच्चीस लाख उनसठ हजार आठ सौ बासठ मात्र)**	खाता नंबर 342 खेसरा नंबर 2023, मौजा भेलाई, उदवंतनगर, यूनिवर्सिटी के पास, 2023, भोजपुर, बिहार। ➤जांच के अनुसार - उत्तर : 10 फीट कच्ची रास्ता फिर रामाशंकर सिंह; दक्षिण : रामजी सिंह (प्लॉट); पूर्व : हरेराम यादव (नए मालिक); पश्चिम : सतीश सिंह (प्लॉट)। ➤विलेख के अनुसार - उत्तर : रामाशंकर सिंह वा रास्ता 4 फीट X 4 फीट; दक्षिण : रामजी सिंह हिसेदार; पूर्व : निज मोकिर; पश्चिम : सतीश सिंह हाल बैदर।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 54,09,000/- (रुपये चौवन लाख नौ हज़ार मात्र)** **₹ 5,40,900/- (रुपये पाँच लाख चालीस हजार नौ सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**

निरीक्षण दिनांक और समय : **02.12.2026** को प्रातः **11.00** बजे से सायं. **4.00** बजे के बीच | न्यूनतम बोली वृद्धि राशि : रु. **10,000**/-
बोली / ईएमडी / भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तारीख : **03.12.2026** शाम **05.00** बजे तक।

*** ऋण अनुबंध की शर्तो के संदर्भ में लागू आगामी ब्याज के साथ, आकस्मिक व्यय, लागतों, प्रभातों आदि सहित भुगतान और / या उसकी वसूली की तारीख तक खर्च।**
संपत्ति के निरीक्षण के संबंधित किसी भी सहायता के लिए, या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया **1. मनोज कुमार पाण्डे, भ्रमणध्वनी क्र. : 9835422089** और ई-मेल : **manojkumarpc@chola.murugappa.com 2. केशव कुमार, भ्रमणध्वनी क्र. : 9386742491** और **ई-मेल : kumarp@chola.murugappa.com** पर सम्पर्क करें। **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनान्स कंपनी लिमिटेड** के अधिकृत **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त अचल संपत्तियों / सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई बाधा नहीं है।

हस्ताक्षर/-
दिनांक : 31.10.2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : वैशाली / आरा, बिहार — कृते चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कंपनी लिमिटेड